चन्द्र शेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर।

प्रबन्ध मण्डल की १३०वीं बैठक का कार्यवृत्त।

दिनॉक २२.१२.२००६
सभास्थल - कुलपति का सभाकक्ष
समयः १२:०० अपरान्ह

उपस्थिति :-

१.	**प्रो० (डा०) वी०के० सूरी,** कुलपति	अध्यक्ष
२.	**डा० मसऊद अली,** निदेशक भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान, कानपुर	सदस्य
३.	**डा० रमेश यादव,** उपाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश खादी एवं ग्रामीण उद्योग बोर्ड, लखनऊ	सदस्य
४.	**श्री आर०के० सिंह,** उप सचिव, कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ	सदस्य/प्रमुख सचिव कृषि के प्रतिनिधि
५.	**श्री बी०आर० सिंह,** अपर निदेशक कोषागार एवं पेंशन, कानपुर मण्डल	सदस्य/ प्रमुख सचिव वित्त के प्रतिनिधि
६.	**श्री संत बी०एस० यादव**	सदस्य
७.	**श्री नरेन्द्र प्रताप सिंह चन्देल**	सदस्य
८.	**श्री जय सिंह यादव**	सदस्य
९.	**डा० एस०एस० यादव**	सदस्य
१०.	**श्रीमती उर्मिला राजपत**	सदस्य
११.	**श्री आर०सी० शुक्ल,** संयुक्त निदेशक कृषि	सदस्य/निदेशक कृषि के प्रतिनिधि
१२.	**डा० आर० सिंह,** सी०टी०ओ०, पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ	सदस्य/निदेशक पशुपालन के प्रतिनिधि
१३.	**श्री राजेन्द्र प्रसाद काण्डपाल,** अर्थ नियन्त्रक	सचिव

मद संख्या १: चन्द्र शेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय के प्रबन्ध मण्डल की दिनॉक ११.८.२००६ को सम्पन्न हुई १२९वीं बैठक की कार्यवाही का अनुमोदन।

प्रबन्ध मण्डल ने १२९वीं बैठक दिनॉक ११.८.२००६ की कार्यवाही के मद संख्या-१४ को छोडकर शेष अन्य मदों/निर्णयों को अनुमोदित/पुष्टि किया। मद संख्या-१४ के सम्बन्ध में प्रबन्ध मण्डल ने निर्देश दिया कि इस प्रकार का निर्णय नही लिया गया था अतएव मद संख्या-१४ अगली बैठक में रखा जाय।

मद संख्या २: चन्द्र शेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय के प्रबन्ध मण्डल की १२९वीं बैठक में लिये गये निर्णयों पर कृत कार्यवही।

प्रबन्ध मण्डल की १२९वीं बैठक दिनॉक ११.८.२००६ में लिये गये निर्णयों पर कृत कार्यवाही पर प्रबन्ध मण्डल ने संतुष्टि व्यक्त की।

कृत कार्यवाही -''बैठक के अन्त में प्रबन्ध मण्डल द्वारा दिये गये अन्य निर्देश''- बिन्दु १ एवं २ पर प्रबन्ध मण्डल ने संतुष्टि व्यक्त की तथा बिन्दु ३ के सम्बन्ध में माननीय सदस्य डा० मसऊद अली एवं श्री संत बी०एस० यादव जी ने कहा कि सत्र लाभ में प्रशासनिक कार्य न लिये जाने सम्बन्धी प्रबन्ध मण्डल के निर्णय का अनुपालन नही हुआ है। अतः सत्र लाभ की अवधि में शिक्षकों को कोई भी उत्तरदायित्व नही दिया जाय। प्रबन्ध मण्डल के निर्णय का तद्नुसार पालन करते हुए सत्रान्त लाभ पर कार्यरत शिक्षकों से केवल शिक्षण का कार्य लिया जाय। बिन्दु-४ के सम्बन्ध में माननीय सदस्य श्री नरेन्द्र प्रताप सिंह चन्देल ने कहा कि प्रबन्ध मण्डल की बैठक प्रत्येक दो माह मे आहूत की जाय। तद्नुसार प्रबन्ध मण्डल ने सहमति व्यक्त की।

मद संख्या ३: अधिष्ठाता, कृषि संकाय के रिक्त पद पर विश्वविद्यालय परिनियमावली के प्रावधानानुसार नियुक्ति किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव।

प्रस्ताव के सम्बन्ध में कुलपति महोदय/अध्यक्ष द्वारा अवगत कराया गया कि अधिष्ठाता पद पर चयन हेतु विज्ञापन कृषि संकाय में उपलब्ध प्राध्यापकों हेतु कराया जायेगा। संकाय में उपलब्ध प्राध्यापकों से ही अधिष्ठाता का चयन किया जाना है।

प्रस्ताव पर विचार व्यक्त करते हुए माननीय सदस्य श्री संत बी०एस० यादव द्वारा सुझाव दिया गया कि अधिष्ठाता हेतु कम से कम पांच वर्ष की प्रोफेसर पद पर कार्य की निरन्तरता, चयनित किये जाने वाले प्रोफेसर की कम से कम तीन वर्ष की सेवानिवृत्त की अवधि शेष हो, तथा साथ ही साथ यह भी ध्यान रखा जाय कि सम्बन्धित अभ्यर्थी प्रबन्ध मण्डल द्वारा विवादित न हो, शासन द्वारा कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही न चल रही हो तथा जिसे प्रबन्ध मण्डल नही चाहता है उसे न रखा जाय। इसके उपरान्त माननीय सदस्य डा० मसऊद अली एवं श्री आर० के० सिंह द्वारा विचार व्यक्त किया गया कि यदि किसी का एक वर्ष भी सेवानिवृत्ति का समय रहता है तो उसे आवेदन करने से नही रोका जा सकता है तथा सुझाव दिया कि विश्वविद्यालय परिनियमावली के अनुसार कार्यवाही की जाय।

अंत में निर्णय लिया गया कि विश्वविद्यालय अधिनियम/परिनियम एवं प्रबन्ध मण्डल के सदस्यों के सुझावों के अनुसार कार्यवाही की जाय। तद्नुसार प्रस्ताव प्रबन्ध मण्डल ने अनुमोदित किया।

मद संख्या ४: विश्वविद्यालय के विभागों में कार्यरत कर्मचारियों को उनके द्वारा उपभोग किये गये उपार्जित/चिकित्सा/ अर्द्धवेतन/बिना वेतन का अवकाश स्वीकृत करने के सम्बन्ध में प्रस्ताव।

प्रबन्ध मण्डल ने प्रस्ताव अनुमोदित कर दिया तथा निर्देश दिया कि नियमानुसार कार्यवाही की जाय।

मद संख्या ५: इटावा परिसर में मेडिकल डाक्टर की पार्टटाइम पर नियुक्ति पर विचार।

प्रबन्ध मण्डल ने प्रस्ताव अनुमोदित किया।

मद संख्या ६: विश्वविद्यालय में कृषि संकाय की भाँति बी०एस-सी० वानिकी, स्ववित्तपोषित बी० टेक एवं एम० बी० ए० में स्वर्ण, रजत एवं कॉस्य पदक देने पर विचार।

प्रबन्ध मण्डल ने प्रस्ताव अनुमोदित किया।

मद संख्या ७: दीक्षान्त समारोह आयोजित करने एवं मानद उपाधि प्रदान करने पर विचार।

प्रबन्ध मण्डल ने दीक्षान्त समारोह आयोजित करने पर अनुमोदन प्रदान किया तथा प्रस्ताव पर विचार विमर्श किया गया। प्रबन्ध मण्डल के सदस्यों का कहना था कि यह उपाधियाँ विश्वविद्यालय के स्तर के अनुरूप ऊंचे स्तर के वैज्ञानिकों को ही दी जानी चाहियें। तद्नुसार इस प्रस्ताव को रिब्यू किया जायें। डा० आर० बी० सिंह, डा० चन्द्रिका प्रसाद, डा० अख्तर हुसैन, डा० राजेन्द्र प्रसाद और डा० नेने के नामों पर विचार करने के सुझाव भी माननीय सदस्यों से प्राप्त हुये। तद्पोरान्त प्रबन्ध मण्डल ने निम्न महानुभावों को मानद उपाधि प्रदान करने पर सहमति प्रदान किया :

१. डा० पंजाब सिंह, कुलपति, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी।
२. डा० टी०पी० ओझा, पूर्व निदेशक, सी०आई०ए०ई०, भोपाल।
३. डा० अख्तर हुसैन।
४. डा० चन्द्रिका प्रसाद सिंह यादव।
५. डा० राम बदन सिंह।

मद संख्या ८: अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य प्रस्तावों पर विचार।

पूरक (१). निदेशक, सुपारी और मसाला विकास निदेशालय कालीकट केरल द्वारा विश्वविद्यालय को वित्तीय वर्ष २००६-०७ में मसाला फसलों के विकास हेतु केन्द्रीय स्पान्र्सड स्कीम- नेशनल हार्टीकल्चर मिशन के अन्तर्गत स्वीकृत योजना को विश्वविद्यालय में क्रियान्वयन हेतु अनुमोदन।

प्रबन्ध मण्डल ने प्रस्ताव अनुमोदित किया।

पूरक (२). डा० अरूण कुमार, सह प्राध्यापक, सस्य, सरदार बल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ दिनाँक ४ अप्रैल, २००७ से ३ अप्रैल, २००८ तक के लिए उनके मूल पद सहायक प्राध्यापक टेक्सोनामी/फिजियोलाजी पर धरण धारण (लियन) सुरक्षित रखे जाने का प्रस्ताव।

प्रबन्ध मण्डल ने प्रस्ताव अनुमोदित किया।

बैठक मे प्रबन्ध मण्डल द्वारा दिए गये अन्य निर्देश :-

१. माननीय सदस्यों द्वारा प्रबन्ध मण्डल की १२६वी बैठक के मद सं० १४ पर प्रबन्ध मण्डल के निर्णय को बदलने पर रोष प्रकट किया गया। श्री जयसिंह यादव द्वारा प्रबन्ध मण्डल के निर्णय को बदलने के लिये डा० मनमोहन अग्रवाल, तत्कालीन कुलपति (वर्तमान में कुलसचिव) की निन्दा की गयी तथा उन्हे तत्काल पद से हटाये जाने का प्रस्ताव किया। माननीय सदस्यों नें इससे सहमति व्यक्त करतें हुये कहा कि डा० अग्रवाल द्वारा १२६वी बैठक के मद सं०-२ में १३ वैज्ञानिकों के लिफाफों को प्रबन्ध मण्डल के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया तथा सदस्यों को गुमराह किया कि लिफाफे मिल नहीं पा रहें है और इस प्रकार से सदन का समय भी खराब किया। प्रबन्ध मण्डल ने डा० अग्रवाल को सदन को गुमराह करने तथा उनके निर्णय को बदलने का दोषी पाया तथा कुलपति को यह निर्देश दिये कि डा० अग्रवाल को कुलसचिव पद से हटाया जायें तथा उन्हे किसी जिम्मेदारी वाले और संवेदनशील (Sensetive) पद पर न बैठाया जायें।

२. प्रबन्ध मण्डल की बैठक हेतु एजेण्डा कम से कम एक सप्ताह पहले सम्मानित सदस्यों को प्रेषित किया जाय।

३. पदों की वरिष्ठता तथा प्रोफेसरों की वरिष्ठता निर्धारित कर कुलसचिव, अधिष्ठाता, निदेशकों, अधिष्ठाता छात्र कल्याण, मुख्य कार्मिक अधिकारी आदि रिक्त समस्त पदों पर वरिष्ठता के आधार पर अतिरिक्त कार्य/दायित्व सौंपते हुए तैनाती कुलपति महोदय द्वारा की जाय तथा किसी भी प्राध्यापक को दो चार्ज न दिये जांय।

४. प्रबन्ध मण्डल की आहूत की जाने वाली बैठक तथा इससे पूर्व की बैठक के मध्य की अवधि में विश्वविद्यालय में हुई प्रगति की आख्या एजेण्डा के माध्यम से प्रस्तुत की जाय।

५. प्रबन्ध मण्डल के संज्ञान में आया कि भरारी में कोई प्रोजेक्ट कोआर्डिनेटर नही है। प्रबन्ध मण्डल ने स्पष्ट निर्देश दिया कि जिन वैज्ञानिकों को जिन परियोजनाओं/शोध केन्द्रों हेतु चयनित किया गया है उन्हें उन्हीं परियोजनाओं/शोध केन्द्रों पर तैनात किया जाय तथा जो वैज्ञानिक मुख्यालय वापस ले आये गये हैं उन्हें तत्काल सबन्धित विज्ञापित/चयनित परियोजनाओं/शोध केन्द्रों पर स्थानान्तरित कर दिया जाय।

६. विश्वविद्यालय की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। आन्तरिक श्रोतों को देखकर यह देख लिया जाय कि फार्मों की क्या स्थिति है कितनी आय हो रही है, कितना व्यय हो रहा है। इस सम्बन्ध में अगली बैठक में एक श्वेत पत्र प्रस्तुत किया जाय।

७. कृषि वानिकी महाविद्यालय के शिलान्यास तथा महाविद्यालयों की स्थापना के लिए उपयुक्त स्थान/स्थल के चयन सम्बन्धी माननीय सदस्य डा० रमेश यादव के पत्र पर विचारोपरान्त अध्यक्ष प्रबन्ध मण्डल ने निर्णय दिया कि भविष्य में स्थान/स्थल के चयन सम्बन्धी प्रस्ताव प्रबन्ध मण्डल में लाया जायेगा।

८. कालेज आफ हार्टीकल्चर के सम्बन्ध में माननीय सदस्य श्री संत बी०एस० यादव द्वारा बताया गया कि महाविद्यालय निर्माण हेतु चयनित स्थल पर काफी महत्वपूर्ण एवं कीमती पौधे थे जिनको कटवा दिया गया तथा कहा गया कि वहां झाड़ियां थीं। इस पर माननीय सदस्य ने बताया कि काटे गये पौधों को तैयार करने पर रु० ६.०० लाख का भुगतान किया गया था। इस प्रकार बहुत ही गम्भीर वित्तीय अनियमितता की गई है।

९. १३ शिक्षकों के निरन्तरता के मामले में कई सदस्यों का मत था कि बिना वेतन अवकाश स्वीकृत कर दिया जाये। प्रमुख सचिव कृषि के प्रतिनिधि श्री आर०के० सिंह उप सचिव, कृषि शिक्षा अनुसंधान द्वारा कहा गया कि १३ शिक्षकों की निरन्तरता के मामले में वित्तीय व्ययभार (Financial Burden) बढ़ेगा।

१०. माननीय सदस्या श्रीमती उर्मिला राजपूत द्वारा प्रस्ताव रखा गया कि सदस्य का पत्र प्रबन्ध मण्डल की बैठक में एजेन्डा के रूप में आना चाहिए जिस पर सदस्यों द्वारा सहमति व्यक्त की गई।

माननीय सदस्या श्रीमती उर्मिला राजपूत द्वारा कृषि ज्ञान केन्द्रों के स्टाफ का मामला संज्ञान में लाते हुए बताया गया कि स्टाफ के पास कोई कार्य नही है, वेतन नही मिल रहा है ऐसे लोगों को कृषि विज्ञान केन्द्रों में समायोजित किया जाय। इस सम्बन्ध में माननीय सदस्य डा० मसउद अली ने विचार व्यक्त किया कि कृषि ज्ञान केन्द्र के स्टाफ का समायोजन जहाँ सम्भव हो किया जाय। कुलपति महोदय/अध्यक्ष द्वारा कहा गया कि कृषि ज्ञान केन्द्र में कार्यरत स्टाफ नान यूजीसी के पदों पर कार्यरत हैं। श्रीमती उर्मिला राजपूत का सुझाव था कि यदि सभी जगह के० वी० के० खुल गये है, तो इन कर्मचारियों को या तो मुख्यालय लाया जाये या इनके मूल विभाग में वापस कर दिया जायें।

११. माननीय सदस्य डा० एस०एस० यादव एवं श्री जय सिंह यादव जी ने कहा कि डा० के०डी० उपाध्याय (तत्कालीन अधिष्ठाता कृषि) एवं डा० वी०एस० वर्मा (तत्कालीन अधिष्ठाता छात्र कल्याण) का प्रकरण एक ही तरह का है परन्तु डा० वर्मा को वेतन नही मिल रहा है। डा० के०डी० उपाध्याय (तत्कालीन अधिष्ठाता कृषि) एवं डा० वी०एस० वर्मा (तत्कालीन अधिष्ठाता छात्र कल्याण) के त्यागपत्र अनुमोदन का प्रकरण प्रबन्ध मण्डल के समक्ष नही लाया गया। निदेशक कृषि के प्रतिनिधि श्री आर०सी० शुक्ल द्वारा विचार व्यक्त किया गया कि डा० वर्मा का इस्तीफा स्वीकृत नही है तो डा० उपाध्याय का इस्तीफा कैसे बोर्ड के बिना स्वीकृत हो गया। नियुक्त अधिकारी के द्वारा ही इस्तीफा स्वीकृत होना चाहिए। अतः इसे प्रबन्ध मण्डल के समक्ष रखा जाय।

१२. कैरियर एडवांसमेन्ट स्कीम के अन्तर्गत वर्ष २००४ में हुए साक्षात्कार पर बन्द लिफाफों को खोलने की अद्यतन वस्तुस्थिति से माननीय प्रबन्ध मण्डल को अवगत कराया गया। माननीय सदस्य श्री संत बी०एस० यादव जी ने अध्यक्ष महोदय से कहा कि लिफाफा खोल दिया जाय यह दायित्व प्रबन्ध मण्डल का होगा, आपका दायित्व नही है। प्रस्ताव के सम्बन्ध में माननीय सदस्यों द्वारा यह भी कहा गया कि कोर्ट में एसोसिएट प्रोफेसर गये है, न कि असिस्टेंट प्रोफेसर।

कोर्ट द्वारा एसोसिएट प्रोफेसर के प्रकरण में ही आदेश जारी किये गये है। इस पर माननीय सदस्य प्रमुख सचिव कृषि के प्रतिनिधि श्री आर०के० सिंह द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनाँक १२.५.२००४ की प्रति की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए बताया कि याचिका Chandra Shekher Azad Agriculture University Teachers Association, Chandra Shekher Azad University of Agriculture & Technology, Kanpur through its General Secretary Sri A.N. Mishra & Another द्वारा दायर की गयी है तथा विश्वविद्यालय के इससे सम्बन्धित आदेश सं० सीएसयूई- ८८/२००३ दिनाँक ३१.७.२००३ को निरस्त करने का निवेदन किया गया है। इस पर माननीय सदस्या श्रीमती उर्मिला राजपूत द्वारा नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा गया कि लोग बाहर से नई नई सूचनाऐं लाकर दे रहे हैं। इस पर सचिव द्वारा स्पष्ट किया गया कि बैठक में कोई भी बाहरी व्यक्ति नही है तथा यह सूचनाऐं पूर्व से ही प्रबन्ध मण्डल के माननीय सदस्यों के समक्ष प्रस्तुत की गई हैं। कुलपति महोदय/अध्यक्ष द्वारा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा लगाये गये रोक के आधार पर लिफाफे खोलने में अपनी असमर्थता व्यक्त की गई। इस पर माननीय सदस्य श्री जय सिंह यादव द्वारा नाराजगी व्यक्त करते हुए अन्य माननीय सदस्य के सहयोग से अध्यक्ष महोदय पर लिफाफे खोलने हेतु दबाव बनाया गया। इस पर माननीय कुलपति/अध्यक्ष द्वारा अध्यक्ष पद से त्यागपत्र देने की पेशकश करते हुए कहा गया कि आप लोग अध्यक्ष चुनकर लिफाफे खोलने के सम्बन्ध में निर्णय स्वयं ले लें। समस्त उपस्थित सदस्यों ने कुलपति महोदय की पेशकश से असहमति व्यक्त की। तदोपरान्त निर्णय लिया गया कि सम्बन्धित प्रकरण पूर्ण विवरण एवं समस्त सूचनाओं सहित विधिक राय (शासकीय/विश्वविद्यालय अधिवक्ता) हेतु प्रेषित किया जाय।

१३. माननीय सदस्य श्री संत बी०एस० यादव जी द्वारा प्रबन्ध मण्डल की १३०वीं बैठक के कार्यवृत्त में हुई हेराफेरी की ओर अध्यक्ष महोद का ध्यान आकर्षित किया। अध्यक्ष महोदय द्वारा सचिव से स्थिति स्पष्ट करने को कहा गया। सचिव द्वारा स्पष्ट किया गया कि जो दूसरी कार्यवृत्त दिखायी जा रही है वह फ्राड है इस पर सदस्यों ने कहा कि फ्राड करने वाले को दण्डित किया जाना चाहिए। सचिव द्वारा मूल कार्यवृत्त की प्रति दिखाते हुए स्पष्ट किया गया कि यही कार्यवृत्त माननीय सदस्यों को प्रेषित की गई है। दूसरी कार्यवृत्त जो दिखायी जा रही है वह फोटोकापी है तथा फोटोकापी के ऊपर फ्राड करने वाले व्यक्ति द्वारा मूल निर्णय के ऊपर चस्पा करके दूसरा निर्णय स्वतः लगाकर फोटोकापी के माध्यम से प्रस्तुत किया जा रहा है। सचिव द्वारा कहा गया कि इस कृत्य की जाँच होनी चाहिए जिससे सही तथ्य प्रकाश में आ सकें तथा दोषी के विरूद्ध कार्यवाही की जा सके। इस पर सदस्यों ने सहमति व्यक्त किया।

१४. कार्यवृत्त रिकार्डिंग के प्रश्न पर माननीय सदस्य डा० रमेश यादव ने कहा कि टेप रिकार्डर रख लिया जाय इस पर कुलपति मंहोदय/अध्यक्ष के निर्देशानुसार कार्यवाही के वीडियो रिकार्डिंग कराने के आदेश दिये गये। अध्यक्ष द्वारा कार्यवाही अंकन हेतु प्रबन्ध मण्डल सचिव के सहयोग हेतु उनके एक स्टाफ को रखने का प्रस्ताव किया प्रस्ताव पर प्रबन्ध मण्डल द्वारा सहमति व्यक्त की गई।

१५. माननीय सदस्य श्री संत बी०एस० यादव जी द्वारा फारेस्ट्री महाविद्यालय, इटावा में खोले जाने का प्रस्ताव किया गया। माननीय सदस्य डा० रमेश यादव द्वारा फारेस्ट्री महाविद्यालय, इटावा स्थानान्तरित करने सम्बन्धी प्रस्ताव शासन को

प्रेषित करने का सुझाव दिया गया। इस पर बताया गया कि काफी धनराशि कानपुर स्थित फारेस्ट्री महाविद्यालय के निर्माण में व्यय हो चुकी है।

१६. माननीय सदस्य श्री संत बी० एस० यादव द्वारा प्रस्ताव किया गया कि बोर्ड के सदस्यों की अध्यक्षता में एकेडेमिक समिति, निर्माण समिति तथा सीड एण्ड फार्म समिति का गठन किया जायें।

अनुमोदित

{प्रो० (डा०) वी०के० सूरी}
कुलपति एवं अध्यक्ष
प्रबन्ध मण्डल

{आर०पी० काण्डपाल}
अर्थ नियन्त्रक एवं सचिव
प्रबन्ध मण्डल